

# फर्द अहकाम

[ नियम 26 ]

कडित  
मकतु

परखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

बनाम .....

नं० .....

सन् .....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

09/09/18 पत्तावली पेय हुई। पाथी व  
पाथी वकील अनुं। चूंकि मूल शवा रिनांक -  
28/02/18 को अरम फेरी - अरम धाजिरी  
में खारिज हो चुका है अतः प्र० पत्र का  
कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः पत्तावली  
खारिज की जाती है। पत्तावली फौज धुमार  
धरर वाश तकरील अखिल रफतर हो

Vap  
उपरखण्ड अधिकारी  
मालाखेड़ा (अलवर) राज०